Phone-0120-2783617
Fax-0120-2783618
E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

पत्रांक : 1042 / 141 दिनांक, गाजियाबाद 20 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

प्रोजेक्ट डायरेक्टर,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
म0नं0–518, नीति खण्ड–1,
इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

विषयः दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे प्रस्ताव सं0–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/10947/2015 में प्रयुक्त होने वाली आरक्षित वन भूमि के अवज में समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ का पत्रांक–1457 /14–1, दिनांक 19.10.2016 एवं उप वन संरक्षक, जालौन, सामाजिक वानिकी प्रभाग, उरई का पत्र सं0–750/33–1, दिनांक 19.10.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ द्वारा अवगत कराया है कि जालौन वन प्रभाग, उरई की जालौन रेंज के अन्तर्गत लोहई वन ब्लाक में 30.108 है0 अवनत वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उप वन संरक्षक, जालौन, सामाजिक वानिकी प्रभाग, उरई के कार्यालय में सम्पर्क कर सम्बन्धित अवनत वन भूमि का विवरण निम्न अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेः–

1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्ता प्रमाण–पत्र।
2. अक्षांश व देशान्तर का विवरण।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का ब्रीफ नोट।
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के0एम0एल0 फाइल।
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का प्राक्कलन व मानचित्र।
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का 1:50000 का मानचित्र।
7. ऑन लाइन पार्ट–2 को अपलोड करने हेतु अन्य अभिलेख।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

पत्रांक : / दिनांकित

1. प्रतिलिप मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ के पत्रांक–1457/14–1, दिनांक 09.10.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी प्रभाग, उरई को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित भूमि का विवरण यथा अक्षांश व देशान्तर, उक्त भूमि के चयन स्थल की टोपो शीट, स्थल की उपयुक्ता प्रमाण–पत्र, 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन आदि अभिलेख, डिजीटल मैप तथा के0एम0एल0 फाइल/एस0एच0पी0 फाइल तैयार करने में प्रयोक्ता अभिकरण का सहयोग करने का कष्ट करें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

E:/Joshi Jii/Adhsashi Abhiyanta, NHAI, Gzb-4